न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 239/2020 तारीख रजू 04.12.2020

हंसराज पुत्र रामचरण जाति जाट निवासी पिपलेट तह0खण्डार। ––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ। ––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक 25.08.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 114/2020 मे पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पिपलेट के आराजी खसरा नम्बर 453/75 रकवा 1.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह भूमि पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस नहीं दिया ना ही अपीलान्ट को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया बल्कि अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलान्ट का खसरा नम्बर 453/75 रकबा 1.00 बीघा के किस विशिष्ठ भू–भाग पर कितना कब्जा है तथा सम्वत 2077 मे कौनसी फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अतिचार के सम्बन्ध में कोई मौका निरीक्षण नहीं किया मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना आदेश स्वेच्छाचारी ढंग से अपने न्यायिक विवके का उपयोग किये बिना ही पारित किया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

गया है जो कि निरस्तनीय है। यह भी तर्क दिया है कि अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिचारी के सम्बनध में पत्रावली पर कोई प्रलेखीय साक्ष्य नहीं होतु हुए भी पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए अपना आदेश विधि के प्रावधानो के विपरित पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिकमी साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। विद्वान पेरोकार ने बहस में यह भी तर्क दिया है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन चरागाह है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा अपीलान्ट द्वारा बडे रकबे पर अतिक्रमण कर रखा है यदि अपीलार्थी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखल नहीं किया गया तो अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमण करने हेतु बढावा मिलेगा एवं पशुधन सम्पदा को क्षति पहुॅचने की पूर्ण संभावना है।अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलाण्ट को स्वंय को नोटिस तामील करवाई गयी। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो पटवारी हल्का की पश्चार्ती अतिक्रमण की रिपोर्ट पर पटवारी हल्का के बयान लिये गये है जिसमे पटवारी हल्का ने बताया है कि अपीलार्थी ने पुनः अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण कर लिया है व अपीलार्थी अतिक्रमण करने का आदी है इसलिये अपीलार्थी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जावें। उक्त कथन से अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिचारी साबित होता है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार की अनियमितता नजर नही आती है तथा अतिक्रमित आराजी की किस्म भी गैर मुमकिन चरागाह है जो मूक पशुओ की चराई मे काम आती है व सार्वजनिक उपयोग की भूमि है पर अपीलान्ट द्वारा पशुधन सम्पदा को क्षति पहॅचने की पूर्ण संभावना है तथा भूमि पर बढते अतिचार को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 09.10.2020 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested